(b) Yes, Sir.

(c) It is too early to quantify the amount.

भारत पर्यटन विकास निगम होटल के बगिया रेस्टोरेंट का ठेका दिया जाना

*35. **श्री राघवजी** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क)अशोक यात्री निवास स्थित बगिया रेस्टोरेंट का ठेका किन-किन व्यक्तियों को कब और कितनी राशि पर दिया गया था;

(ख)"बगिया" के ठेके के लिए और कितने टेंडर प्राप्त हुये थे और न्हें अस्वीकार करने के क्या कारण थे;

(ग)क्या बगिया रेस्टोरेंट के ठेकेदार ने कुछ शर्तों का उल्लंघन किया था; यदि हां, तो ठेका समाप्त क्यों नहीं किया गया; और

(घ)कम राशि पर ठेका देने वाले अधिकारियों के नाम क्या हैं और क्या ऐसे अधिकारियों के विरूद्ध कोईण कार्रवाई की गई हैं; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) अशोक यात्री निवास के लान में एक बार –बी-क्यू रेस्तंरा चलाने हेतु स्थान की अनुज्ञा प्रदान करने होटल एंड रेस्तरांतज इनकापेरिटि को एक ठेका दिया गया था, जिसमें निम्नलिखित पांच भागीदार हैं:-

1. श्री ललित किशोर सचदेवा
2. श्री वीरेन्द्र कुमार नागपाल
3. श्री मनोज मलिक
4. श्री आर0पी0सचदेवा
5. श्री सुशील कुमार शर्मा

जिस लाइसेंस फीस पर सहमति हुई, वह रेस्तरां की बिक्री का 21% थी जो 3.10 लाख रू0 प्रति वर्ष की कम-से-कम गांरटी राशि की शर्त के अधीन थी।

(ग)ब्यौरा नीचे दिया गया हैं;

निविदा के विज्ञापन की तारीख	विज्ञापन के उत्तर में प्राप्त निविदाओं की संख्या	टेंडर अवार्ड कमेटी द्वारा नामंजूर करने के कारण
24.7.93	3	प्रस्तावित राशि को कम माना गया।
20/27नवम्बर, 1993	4	शार्टलिस्टिड पार्टी, जिसे लाइसेंस का आवंटन किया जाना था, अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने मे असफल रही।
10.4.94	4	चार निदिकत्ताओं में से दो, क्षेत्र में अनुभवी थे और इस प्रकार दो निविदाओं पर विचार करना प्रतिस्पर्धात्मक ददरें नहीं दे सकता।

(ग)यह रेस्तरां मुश्किल से आठ महीने के गलिए चालू रहा था। इस अवधि के दोरान, पट्टे की शर्तों के उल्लंघन के कुछ मामले प्रबंधन के ध्यान मे आए तथा प्रबंधन ने परामर्शी पत्र/ठेका समाप्त करने के लिए कारण बताओ नोंटिस जारी किए

(ग)यह ठेका टेंडर अवार्ड समिति जिसमें श्री सी0 एस0 जैन, महाप्रबंधक (होटल वित्त), श्री के0के0 तुली, महाप्रबंधक (अशोक यात्री निवास) , श्री एन0एम0 बत्रा रेजिडेंट प्रबंधक (अशोक यात्री निवास) , कैप्टन आर0 आर0 अरोड़ा, प्रबंधक (सतर्कता एवं सुरक्षा) और श्री विजय कुमार, मुख्य लेखा, अधिकारी थे, कि सिफारिशों तथा श्री एम0एन0 गुप्ता, उपाध्यक्ष (होटल्ज (जोकि सक्षम प्राधिकारी थे के अनुमोदन पर दिया गया था। टैंडर लाइसेंस फीस को अलाभकारी नहीं समझा गया था। तथापि गलतियां यदि कोई हैं तो उनका पता लगाने के लिए विस्तृत जांच की जा रही हैं और तदानुसासर कार्यवाही की जाएगी।